झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद ।

<u>निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 02/2010–11</u>

1. विज्ञापन दाता का नाम – अधीक्षण अभियंता, धनबाद ।
2. निविदा पत्र प्राप्त करने की अवधि एवं समय – 12.08.10 से 18.08.10 तक 4.00 बजे अपराह्न
3. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 20.08.10 को 3.00 बजे अपराह्न तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय – 20.08.10 को 3.30 बजे अपराह्न
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान – झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद ।
6. निविदा जमा करने एवं खुलने का स्थान – झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद ।
7. कार्यो का विवरणी :–

क्र0	कार्यो का विवरणी	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मुल्य	कार्य की अवधी
1.	मौजा बेलगड़िया स्थित विस्थापित आवासीय परिसर में 5 (पाँच) अद्द स्वीच रूम का निर्माण	रू0 1,68,794.00	रू0 3376.00	रू0 100.00	एक महीना

8. भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार में समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते है या अन्यत्र समकक्ष कार्य अनुभव रखनेवाले ठेकेदार भी अधीक्षण अभियंता से आदेश लेकर निविदा में भाग ले सकते है ।
9. निविदादाताओ को व्यक्तिगत रूप से पहचान पत्र के साथ उपस्थित रहने एवं वैध अधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा कागजात दिए जायेंगे ।
10. परिमाण विपत्र क्रय हेतु पैन नम्बर, वाणिज्य कर सफल प्रमाण पत्र, निबंधन की अभिप्रमाणित सुस्पष्ट छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा ।
11. निविदादाता दो लिफाफा पद्धति के अनुसार प्राप्त की जायेगी जिसमें एक लिफाफा टेक्नीकल बीड एवं दुसरा लिफाफा प्राइस बीड का होगा। दिनांक 20.08.10 को केवल टेक्नीकल बीड का लिफाफा खुलेगा। टेक्नीकल बीड में जो निविदानुसार क्वालिफाई करेगे उन्ही का प्राइस बीड इसके हेतु निर्धारित तिथि को खोला जायेगा। शेष संवेदको को प्राइस बीड बिना खोले उन्हे लौटा दिया जायगा। टेक्नीकल बीड एवं प्राइस बीड का मुहरबन्द लिफाफा एक तीसरा लिफाफा में सील कर दिनांक 20.08.10 को डालना है।
12. दो लिफाफा पद्धति से निविदित कार्यो के निविदाकारों को टेक्नीकली क्वालीफाई करने हेतु निम्नलिखित अहर्त्ता को पुरा करना अनिवार्य होगा । निम्नाकित अहर्त्ताओं को धारित नही करने वाले निविदा प्रस्ताव का प्राइस बीड नहीं खोला जायगा ।

    क) मुख्य सवेदक (प्राइम कान्ट्रेक्टर) के रूप में समान कार्य का अनुभव निविदा आमन्त्रित होने वाले दिन के पूर्व माह के अन्तिम तिथि से पीछले सात वर्ष पूर्व तीन में से एक होना अनिवार्य होगा ।

    i) प्राक्कलित राशि के 80% राशि के समतुल्य या ज्यादा का एक कार्य सफलता पुर्वक पुर्ण करने का अनुभव ।

या

ii) प्राक्कलित राशि के 50% राशि के समतुल्य या ज़्यादा का दो कार्य सफलता पुर्वक पुर्ण करने का अनुभव ।

या

iii) प्राक्कलित राशि के 40% राशि के समतुल्य या ज्यादा का तीन कार्य सफलता पुर्वक पुर्ण करने का अनुभव ।

एतद संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

ख) मुख्य संवेदक (प्राईम कान्ट्रेक्टर) के रूप में निविदा दाता का असैनिक अभियंत्रण कार्यो का पीछले तीन वित्तिय वर्षो में कूल पलटाव (टर्ण ओवर) प्राक्कलित राशि का 90% के समतुल्य राशि या अधिक होना अनिवार्य होगा । एतद संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

ग) समान कार्य का मतलब :–

i) भवन निर्माण संबंधी असैनिक अभियंत्रण कार्य।

13 संवेदक को निविदा के साथ कार्य का समयवद्ध कार्य योजना समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

14. संवेदक को किये गये कार्य का सभी गुणवत्ता नियन्त्रण जाँच रिपोर्ट समर्पित करने के उपरान्त ही विपत्र का भुगतान किया जायेगा ।

15. सरकार द्वारा मजदूरों के लिए स्वीकृत की गई वर्त्तमान दर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

16. अधोहस्ताक्षरी तथा सक्षम पदाधिकारी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने एवं एक से अधिक संवेदको में कार्य बाँटने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

17. परिमाण विपत्र का मुल्य जो लौटाई नही जायेगी, राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ली जायेगी, जो अधीक्षण अभियंता, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद के पदनाम से निर्गत होगा ।

18. अग्रधन की राशि एन0एस0सी0 के आठवॉ निर्गत या 3/5 वर्षीय प्रोस्ट ऑफिस का सावधि जमा प्रपत्र या बैक ड्राफ्ट/बैंक गारन्टी के रूप में ली जायेगी, जो अधीक्षण अभियंता झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद के पक्ष में निर्गत/ प्रतिज्ञापित होगा।

19. एकरारनामा के अवधि में कार्य पूर्ण नही करने पर नियमानुसार कारवाई की जायेगी। किसी भी प्रकार का अवधी विस्तार स्वीकृत नही किया जायेगा ।

20. सशर्त निविदा मान्य नही होगी ।

21. निविदा जिन सम्वेदक के पक्ष में निर्णित होगा इन्हे एक सप्ताह के अन्दर एफ–2 पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा, अन्यथा विलम्ब होने पर अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायगी ।

22. विशेष सूचना के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यलय से मिले या सूचना पट्ट पर देखे ।

23. खनीज समनुदान नियमावली 1972 के नियम (10) का अनुपालन करना होगा । सभी व्यवहारिक लधु खनीज को खनन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कार्य की एम0 एन0 एफ0 उपलब्धता पर सम्पादित कार्यो का भुगतान किया जायगा ।

24. परिमाण विपत्र में दर्शाये गये दर से 15% से कम की निविदा दर अमान्य होगी ।

25. निविदादाता जिस कार्य के लिए निविदा दे रहे है वे स्वयं स्थल भ्रमण एवं सर्वे कर ही और उसकी सही स्थित से संतुष्ट होने के बाद ही निविदा दर अंकित करें ।

26. सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो अनुदेशो का पालन करना अनिवार्य होगा ।

27. संवेदक त्रुटिपुर्ण सामग्रियो की आपूर्ति एवं गलत व्यवहार के लिए पूर्णतः दोषी माने जायेगे ।

28. सिमेन्ट एवं छड़ की खरीदगी संवेदक के विभाग द्वारा अनुमोदित कम्पनी से करनी होगी ताकी गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जा सके ।

29. किसी भी तरह का दर बढ़ोतरी मान्य नही होगी ।

30. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं तदनुसार अग्रधन का राशि घट बढ़ सकती है ।

31. इस निविदा को Web site –http://www. dhanbad.nic.in पर देखा जा सकता है।

अधीक्षण अभियंता
झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार,
धनबाद ।